Regd. No. CHD/0093/2009–2011

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, FRIDAY, JULY 31, 2009
(SRAVANA 9, 1931 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 31st July, 2009

No. 30-HLA of 2009/65.—The Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Bill, 2009, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:—

Bill No. 30—HLA of 2009

THE HARYANA DEVELOPMENT AND REGULATION OF URBAN AREAS (SECOND AMENDMENT) BILL, 2009

A

BILL

further to amend the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in its Sixtieth Year of the Republic of India as follows: —

1. This Act may be called the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Second Amendment) Act, 2009. Short title.

2. After section 3B of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975, the following section shall be inserted, namely :— Insertion of section 3C in Haryana Act 8 of 1975.

"**3C. Registration of independent residential floors.**—(1) The registration of independent residential floors for the purpose of transfer,

sale, gift, exchange or lease in perpetuity in a colony, for which a licence has been granted under this Act, shall be permitted as independent dwelling units :

Provided that no sub-division of land under the residential dwelling unit shall be permitted and the registration shall be limited to only one dwelling unit on each floor.

(2) The purchaser desiring registration under sub-section (1), shall be liable to pay a duty as notified by the Government from time to time, in addition to the stamp duty payable under the Indian Stamp Act, 1899, as applicable in the State of Haryana.

(3) The said duty shall be collected by the Registrar or Sub-Registrar at the time of registration of the document in the manner specified under the Indian Stamp Act, 1899 and intimation thereof shall be sent to the Director immediately.

(4) The amount of the duty collected under this Act shall be credited to the Fund established under section 3A of this Act.".

Repeal and saving.

3. (1) The Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Ordinance, 2009 (Haryana Ordinance No. 7 of 2009), is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act, as amended by the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under the principal Act, as amended by this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

It has been decided by the Government to allow registration of independent floors in the plotted residential colonies that are granted licence under the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975, and recovery of an additional stamp duty against such registration.

Thus in order to allow the registration of floors in such licenced residential plotted colonies, and enable the recovery of stamp duty along with additional duty by the Government on account of registration of independent floors, an enabling provision needs to be made in the said Act. Accordingly a new Section 3C is proposed to be inserted in the said Act.

Hence, this Bill.

BHUPINDER SINGH HOODA,
Chief Minister, Haryana.

Chandigarh :
The 31st July, 2009.

SUMIT KUMAR,
Secretary.

-4-

[प्राधिकृत अनुवाद]

2009 का विधेयक संख्या 30 – एच० एल० ए०

हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2009

हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

क्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2009, कहा जा सकता है।

75 के हरियाणा अधिनियम 8 में धारा का रखा जाना।

2. हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा 3ख के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"**3ग. स्वतन्त्र आवासीय मंजिल का रजिस्ट्रेशन.--** (1) किसी उपनिवेश में जिसके लिए अनुज्ञप्ति इस अधिनियम के अधीन प्रदान की गई है, अंतरण, विक्रय, उपहार, विनिमय या शाश्वत पट्टे के प्रयोजन के लिए स्वतन्त्र आवासीय मंजिल का रजिस्ट्रेशन स्वतन्त्र निवास यूनिट के रूप में अनुज्ञात होगा:

परन्तु आवासीय निवास यूनिट के अधीन भूमि का कोई भी उप-खण्ड अनुज्ञात नहीं होगा तथा रजिस्ट्रेशन प्रत्येक मंजिल पर केवल एक निवास यूनिट तक सीमित होगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन रजिस्ट्रेशन इच्छुक क्रेता भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899, हरियाणा राज्यार्थ के अधीन भुगतानयोग्य स्टाम्प शुल्क के अतिरिक्त समय-समय पर सरकार द्वारा यथा अधिसूचित शुल्क का भुगतान करने के लिए दायी होगा।

(3) उक्त शुल्क भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में दस्तावेज के रजिस्ट्रेशन के समय पर रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार द्वारा संगृहीत किया जाएगा तथा उसकी सूचना तुरन्त निदेशक को भेजी जाएगी।

(4) इस अधिनियम के अधीन संगृहीत किये गये शुल्क की राशि इस अधिनियम की धारा 3क के अधीन स्थापित निधि में जमा की जाएगी।"।

रसन तथा वृत्ति।

3. (1) हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2009 (2009 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 7), इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 के अन्तर्गत अनुज्ञप्त प्लाटिड रिहायशी कॉलोनियों में स्वतंत्र आवासीय मंजिल के रजिस्ट्रेशन तथा उसके हेतु अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के संग्रहण का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है।

अत: अनुज्ञप्त कॉलोनियों में ऐसे स्वतंत्र आवासीय मंजिल के रजिस्ट्रेशन करने हेतु तथा ऐसे मामलों में स्टाम्प शुल्क के साथ-साथ अतिरिक्त शुल्क के संग्रहण हेतु वर्तमान अधिनियम में जरूरी प्रावधान करने आवश्यक हैं। अत: उक्त अधिनियम में धारा 3ख के बाद धारा 3ग रखा जाना प्रस्तावित है।

अत: यह विधेयक।

भूपेन्द्र सिंह हुड्डा,
मुख्य मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
31 जुलाई, 2009

सुमित कुमार,
सचिव।

Regd. No. CHD/0093/2009-2011

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, FRIDAY, JULY 31, 2009
(SRAVANA 9, 1931 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 31st July, 2009

No. 29-HLA of 2009/63.—The Haryana Urban Development Authority (Amendment) Bill, 2009, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:—

Bill No. 29–HLA of 2009

THE HARYANA URBAN DEVELOPMENT AUTHORITY (AMENDMENT) BILL, 2009

A

Bill

further to amend the Haryana Urban Development Authority Act, 1977.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in its Sixtieth Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Haryana Urban Development Authority (Amendment) Act, 2009. Short title.

2. (1) After section 38 of the Haryana Urban Development Authority Act, 1977, the following section shall be inserted, namely :— Insertion of section 38A in Haryana Act 13 of 1977.

"**38A. Registration of independent residential floor.**—(1) The

registration of independent residential floors for the purpose of transfer, sale, gift exchange or lease in perpetuity of plots allotted by the Authority, shall be permitted as independent dwelling units :

Provided that no sub-division of land under the residential dwelling unit shall be permitted and the registration shall be limited to only one dwelling unit on each floor.

(2) The purchaser of floor desiring registration under sub-section (1) shall be liable to pay a duty, as notified by the State Government, from time to time, which shall not be less than one per centum and more than three per centum, in addition to the stamp duty payable under the Indian Stamp Act, 1899, as applicable in the State of Haryana.

(3) The said duty shall be collected by the Registrar or Sub-Registrar in the shape of non-judicial stamp paper at the time of registration of the document and intimation thereof shall be sent to the concerned Estate Officer immediately.

(4) The amount of the duty so collected shall be paid to the concerned Estate Officer and this amount shall be utilized towards defraying the costs of additional external development that may be incurred on providing extra basic amenities.".

Repeal and saving.

3. (1) The Haryana Urban Development Authority (Amendment) Ordinance, 2009 (Haryana Ordinance No. 8 of 2009), is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principl Act, as amended by the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under the principal Act, as amended by this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

It has been decided by the Government of allow registration of independent floors on residential plots in Urban Estates of HUDA and recovery of an additional stamp duty against such registration under Haryana Urban Development Authority Act, 1977.

This in order to allow the registration of floors on residential plots in Urban Estates of HUDA and enable the recovery of stamp duty alongwith additional stamp duty by the Government on account of registration of independent floors, an enabling provision needs to be made in the said Act. Accordingly a new section 38A is proposed to be inserted in the said Act, after section 38.

Hence, this Bill.

BHUPINDER SINGH HOODA,
Chief Minister, Haryana.

Chandigarh :
The 31st July, 2009

SUMIT KUMAR,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2009 का विधेयक संख्या 29 —एच० एल० ए०

हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2009

**हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण
अधिनियम, 1977, को आगे
संशोधित करने के लिये
विधेयक**

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2009, कहा जा सकता है।

1977 के हरियाणा अधिनियम 13 में धारा 38क का रखा जाना।

2. (1) हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1977 की धारा 38 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"**38क. स्वतन्त्र आवासीय मंजिलों का रजिस्ट्रेशन.**—(1) प्राधिकरण द्वारा आबंटित प्लाटों का अंतरण, विक्रय, उपहार, विनिमय या शाश्वत पट्टे के प्रयोजन के लिए स्वतन्त्र आवासीय मंजिलों का रजिस्ट्रेशन स्वतन्त्र निवास यूनिट के रूप में अनुज्ञात होगा :

परन्तु आवासीय निवास यूनिट के अधीन भूमि का कोई भी उप-खण्ड अनुज्ञात नहीं होगा तथा रजिस्ट्रेशन प्रत्येक मंजिल पर केवल एक निवास यूनिट तक ही सीमित होगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन रजिस्ट्रेशन इच्छुक मंजिल का क्रेता भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899, हरियाणा राज्यार्थ, के अधीन भुगतान योग्य स्टाम्प शुल्क के अतिरिक्त समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित शुल्क का भुगतान करने के लिए दायी होगा जो एक प्रतिशत से कम तथा तीन प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(3) उक्त शुल्क दस्तावेज के रजिस्ट्रेशन के समय पर न्यायिकेतर स्टाम्प पेपर के रूप में रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार द्वारा संगृहीत किया जाएगा तथा उसकी सूचना तुरन्त सम्बद्ध सम्पदा अधिकारी को भेजी जाएगी।

(4) इस प्रकार संगृहीत शुल्क की राशि सम्बद्ध सम्पदा अधिकारी को भुगतान की जाएगी तथा यह राशि जो अतिरिक्त मूल सुख-सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ली गई हो, अतिरिक्त बाह्य विकास की लागतों को चुकाने के लिए उपयोग की जाएगी।"।

-5-

3. (1) हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 2009 (2009 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 8), इसके द्वारा, निरसित किया जाता है। निरसन तथा व्यावृत्ति।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

उद्देश्यों तथा कार्यों का विवरण

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1977 के अन्तर्गत आवासीय भूखण्ड के स्वतन्त्र मंजिल के पंजीकरण तथा उसके हेतु अतिरिक्त मुद्रांक-शुल्क के संग्रहण का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है।

अतः हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की शहरी सम्पदाओं में पंजीकरण करने हेतु तथा ऐसे मामलों में मुद्रांक-शुल्क के साथ-साथ अतिरिक्त शुल्क के संग्रहण हेतु वर्तमान अधिनियम में जरूरी प्रावधान करने आवश्यक हैं। अतः उक्त अधिनियम में धारा 38 के बाद धारा 38ए रखा जाना प्रस्तावित है।

अतः यह विधेयक।

भूपेन्द्र सिंह हुड्डा,
मुख्य मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
31 जुलाई, 2009

सुमित कुमार,
सचिव।